न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुझुनू

पीठासीन अधिकारी– एम0 आर0 बागड़िया
आर0ए0एस0

अपील संख्या– 31/2017

श्रीमती सुप्यार उम्र 55 वर्ष, पत्नी स्व0 रामेश्वरलाल, जाति मीणा, निवासी नाटास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धा. 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ
आदेश नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम रामेश्वरलाल
मु.न. 01/2016 अ.धा. 91 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 29.01.2016

उपस्थितः–

1. श्री धीरज कुमार, एडवोकेट———————— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी ,एडवोकेट———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

– निर्णय– दिनांक–04.07.2018

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2016 मुकदमा नंबर 01/2016 बमुकदमा उनवानी सरकार, रामेश्वरलाल अन्तगर्त धारा 91 नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – अदालात मातहत की आर्डरसीट के अनुसार दिनांक 05.1.2016 को अतिक्रमी के विरूद्ध नोटिस जारी कर 20.1.2016 को उपस्थित बाबत नोटिस दिये जो का आदेश है। अदालत मातहत ने कोई नोटिस जारी नहीं किये। बिना साक्ष्य व नोटिस दिनांक 29.1.2016 को अपीलार्थी के पति रामेश्वरलाल के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया है जो अवैध है। अपीलार्थीया के पति रामेश्वरलाल का लंबी बीमार के बाद

दिनांक 31.1.2017 को देहान्त हो गया था। अदालत मातहत ने अपीलार्थीया के पति को नोटिस तामिल करवाये वगैर सुनवाई का अवसर दिये उक्त आदेश पारित किया है। जो विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि –अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पति की बिना विधिवत तामिल करवाये बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त बेदखल का आदेश पारित किया है जो विरूद्ध कानून होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.01.2016 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैराकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि जो गैर मु0 नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी नाटास की रिपोर्ट के अनुसार भूमि खसरा नंबर 14 रकबा 1.32 हैक्टर जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 नदी दर्ज है जिसमें रकबा 0.0400 हैक्टर पर अपीलांट द्वारा पक्के मकान व बाड़ इत्यादि लगाकर अवैध रूप से अतिक्रमण करना बताया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय में अपील संख्या 35/17 उनवानी श्रीमती सुप्यार बनाम राज0 सरकार जिसका निर्णय दिनांक 28.6.2018 को हुआ है। दोनों प्रकरणों में अतिक्रमित भूमि एक ही है । अतः इस प्रकरण का उक्त निर्णय से भिन्न आदेश नहीं किया जा सकता। उक्त अपील में अपीलांट का कथन है कि उपरोक्त भूमि में से अपीलार्थी के अलावा करीब 20 परिवार हनुमान धानका ,गुलाब, सांवत, मुखा पुत्र भोलू, गोविन्दराम, धूड़ा, दूला,जसु, गणेशा,सुरजा, भूरदास, सांवत, मंगा, भागला मीणा, सूरजा, भूरदास स्वी, कुरड़ा कुम्हार मनसुख चमार आदि भूमि अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही काश्त करते आ रहे हैं,

जिनका पत्रावली पर राजस्व रिकार्ड भी प्रस्तुत हुआ है। अदालत मातहत ने केवल अपीलार्थी के मकान से अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश किया है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि की किस्म गै0मु0नदी होने कारण अगर अपीलांट के पुराने कब्जे पर भी विश्वास किया जाये तो भी माननीय उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निणर्यों के मध्यनजर अपीलांट का प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 नदी दर्ज से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.1.2016 मु0नं0 01/2016 सरकार बनाम रामेश्वरलाल यथावत रखा जाता है, साथ ही तहसीलदार उदयपुरवाटी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट के कथनानुसार "उपरोक्त भूमि में से अपीलांट के अलावा उपरोक्त वर्णित करीब 20 परिवार ओर भूमि को काश्त करते आ रहे हैं," अतः इसकी अविलंब जांच करवाकर सभी अतिक्रमियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू